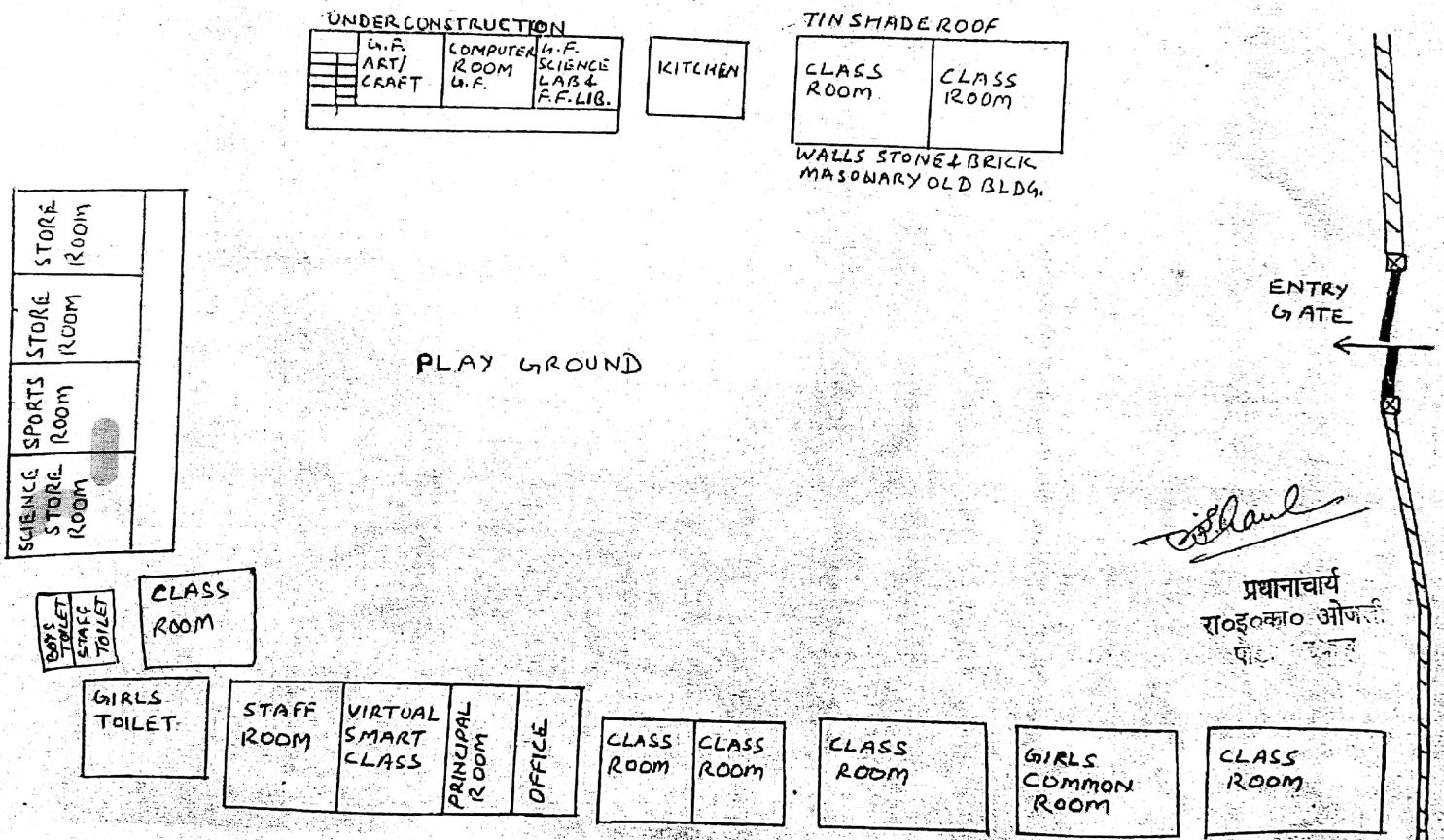


SITE PLAN

NAME OF SCHOOL/COLLEGE :- GOVT. INTER COLLEGE OJALI, BLOCK - PAURI





mail.google.com/mail/u/1/?pli=1#...

ग्राम का नाम : वजली-इड03

जनपद : पौड़ी गढ़वाल

फसली वर्ष : 1422-1427

वारहस्थ

08/09/2016

पिता/पति/ संरक्षक
का नाम

निवास स्थान

श्रीमिक
अधिकार
प्राप्त होने का
फसली वर्ष

आते के प्रत्येक
गटे की खसरा
संख्या

प्राप्त होने का
फसली वर्ष
(ह)

कारण
द्वारा
प्राप्त होने का
फसली वर्ष

प्राप्त होने सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश,
किसी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा
के अनुसार अधिकारी का पद

7-12

2

3

4

5

6

1-3-इ -- अन्य भूमि योग्य बंजर भूमि

उ0 प्र0 सरकार बंजर

3314 0.0280
3315 0.0280
3316 0.0240
3317 0.0310
3318 0.0280
3319 0.0380
3320 0.0230
3321 0.0230
3322 0.0180
3323 0.0180
3324 0.0180
3325 0.0230
3326 0.0090
3327 0.0180
3328 0.0180
3329 0.0280
3330 0.0150
3331 0.0230
3332 0.0180
3334 0.0330
3335 0.0550
3336 0.0410
3337 0.0180
3338 0.0180
3339 0.0180
3340 0.0310
3341 0.0180
3342 0.0330
3343 0.0280
3344 0.0080
3346 0.0580
3347 0.0430
3348 0.0480
3349 0.0600

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल के आदेश संख्या-
38/48-एल0प्र0सी0/2015-16 दिनांक 1/09/2016 के द्वारा
प्राप्त भूमि पट्टी डबवालम्यू तहसील पौड़ी की जेड0प्र0
कमिटी खाना संख्या 113 के खसरा नं0 3346 रकबा
0.0388है, खसरा नं0 3347 रकबा 0.043है, खसरा नं0
3348 रकबा 0.046है, खसरा नं0 3349 रकबा 0.050है
खसरा नं0 3350 रकबा 0.033है, खसरा नं0 3351
रकबा 0.044है, खसरा नं0 3352 रकबा 0.051है,
खसरा नं0 3353 रकबा 0.056है, खसरा नं0 3354 रकबा
0.051है, खसरा नं0 3355 रकबा 0.055है, खसरा नं0
3356 रकबा 0.024है, खसरा नं0 3357 रकबा 0.086
है, कुल रकबा 0.547 है0 (ये सभी 5(3)है- अन्य
प्राप्त योग्य बंजर भूमि) शिक्षा विभाग पौड़ी के नाम
पर अस्तित्व किये जाने की स्वीकृति मशरूत (आदेश
के अन्तर्गत शर्तों के अधीन) प्रदान की गयी है।

जिस्तार कानूनगा
पौड़ी

PROFORMA REGARDING SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION
CERTIFICATE.

No. 002Date: 06/03/21

It is certified that an inspection team headed by Dr. Pankaj Juyal
Medical Officer - (Name of Officers
 with designation) from P.H.C. Parsundakhal Pauri (Name of
 Department/Office) inspected the Gov. Inter college Jali
Block Pauri, Pauri Garhwal U.K. (Name & Address of
 the School) on 06/03/21 and found that the Ceasement
Intercollege Jali Block Pauri (Name of school) has safe
 drinking water facilities for the students and members of staff of the institution and is maintaining
 the hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per the norms
 prescribed by the Central/State/U.T Govt.

The above valid for a period of one year.

Signature with Seal:

Name

Designation

Dr. Pankaj Juyal
M.O.

To

Inter college Jali
Block Pauri Pauri Garhwal
Uttarakhand.

(Name & Address of the Institution)

स्वामी/प्रबन्धक

M/S Government Intermideate College,
Ojali, P.O-Khandyusain, Distt-Parui Garhwal

विषय: अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिफ नम्बर:-21311989, दिनांक: 15.03.2021 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन पौड़ी द्वारा किया गया। प्रभारी फायर स्टेशन पौड़ी की निरीक्षण आख्या के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

अतः आपके संस्थान के प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से 03 माह के लिये इस आधार पर प्रदान किया जा रहा है कि मानचित्र सम्बन्धी सभी औपचारिकता एवं मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण कर ऑन लाईन Pre-Operational Noc हेतु आवेदन किया जाना आवश्यक होगा।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैंट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
6. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
7. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।


(नरेन्द्र सिंह कुँवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार।

प्रतिलिपि: प्रभारी फायर स्टेशन पौड़ी को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।